

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>7.6.22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पंडा उपस्थित वकील आर्चो ने अर्चना पत्र पेश करने के समय धाड़ा लगा है जो न्यायाधीश के आंशिक अवरुद्ध प्रदान किया जाता है। कोर्ट रिपोर्ट 2.8. निरीक्षण को मतगणना प्राप्त होना शामिल पत्रावली है। पत्रावली वाले अर्चना दिनांक 20.6.2022 को पेश की जावे।</p>	
<p>8⁶/₂₂</p>	<p>सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीब</p> <p>वकील आर्चो द्वारा अर्चना पत्र को नवीन आदेश 23 नियम / CPC के पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। वकील आर्चो ने अर्चना पत्र 23(1) में संक्षेपतः निवेदन किया है कि उस आनवान के नवीन आदेश वाक्य पत्रावली में तकनीकी रूप से कमी रह गयी है। कमलिनी मोंडूडा उमर पत्रावली में तकनीकी अर्थात् सुधार करने हुए नवीन अर्चना पत्र पुनः पेश करना चाहता है तथा मोंडूडा पत्रावली को नोट प्रैस कले व नवीन अर्चना पत्र पुनः पेश करने की अनुमति वाक्य अर्चना पत्र शीतल ही लेना से पेश कर रहा है। आर्चो द्वारा अमृत अर्चना पत्र को नवीन आदेश 23 नियम / CPC विचार किया जाकर अकल्प को इसी तरह पर नोट प्रैस किया जागे के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली कमलिनी शुभार होकर नम्बर के कम की जावे। निर्णय सरे इल्लाम सुनाना गया।</p> <p>सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीब</p>	